प्रेषक, संख्या : 06 /IV(1)/2009-373(कुम्भ)/2009

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 01 जनवरी, 2010

विषयः आगामी कुम्भ मेला, 2010 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत गौरीशंकर, जगजीतपुर, रायवाला, फाउण्ड्रीगेट, बी0एच0ई0एल0 (धीरवाली) में अस्थाई पार्किंग के निर्माण कार्यों की प्रशासकीय, वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2651/कु.मे./ह.वि.प्रा. दिनांक 4.11.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, अधिशासी अभियंता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत कुल आगणन रू. 190.85 लाख के परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू. 169.42 लाख (रू. एक करोड़ उनहत्तर लाख बयालिस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2009–10 में व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त कार्य को इसी धनराशि से पूर्ण किया जाएगा एवं आगणनों का पुनरीक्षण किसी दशा में नहीं किया जाएगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
3. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराने के बाद ही अवशेष/अगली किश्त अवमुक्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।
4. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए।
5. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है।
7. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
9. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 मितव्ययिता के सम्बन्ध में एवं अन्य वित्तीय नियमों तथा मितव्ययिता के विषय में समय–समय पर निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों के प्राविधानों का पालन कड़ाई से किया जाए।
10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
11. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्यस्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जाए।
12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारुप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

14. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

15. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।

16. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।

17. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।

18. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं मेलाधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

19. नियोजन विभाग के अधीन चयनित स्वतंत्र अभियंताओं के पैनल से से चयनित अभियंताओं की देख–रेख में उक्त कार्य सम्पन्न होगा।

20. शासन द्वारा तैनात कन्करेंट (concurrent) ऑडिट के अधिकारियों की उपस्थिति में कार्य सम्पन्न होगा। उनकी स्वतंत्र अभियंता की आख्या देखते हुए संस्तुति के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

21. कार्य में न्यूनतम आवश्यकतानुसार ही धनराशि खर्च की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या–1614/IV(1)/2009– 39(सा0)2006–टीसी0 दिनांक 24.11.2009 के द्वारा मेलाधिकारी, हरिद्वार के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 100.00 करोड़ के सापेक्ष किया जायेगा एवं पुस्तांकन तदुस्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 838/XXVII(2)/2009 दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 द्वारा उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या : 06 (1)/IV(1)/2009 तद्दिनांक। 01/01/2010

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि ग विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अभियंता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अनूप वधावन)
सचिव।